



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 120 /2025

दिनांक- 31.03.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 31.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना रानी की सराय: पेट्रोल पम्प के पास मारपीट और फायरिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 30.03.2025 को वादी ग्राम प्रहरी कुलदीप पुत्र झिनकू राम ग्राम कोठिया थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि दिनांक 28.03.2025 को समय रात्रि करीब 08.30 बजे व 09.00 बजे के मध्य मै बेलइसा से अपने गांव की तरफ आ रहा था जब आयुक्त महोदय आजमगढ़ परिक्षेत्र के आवास के सामने पहुंचा तो देखा कि पुरानी रंजिश के विवाद को लेकर दो पक्ष के कुछ व्यक्ति जिसमें प्रथम पक्ष के (1) दीपक यादव पुत्र रविन्द्र यादव नि0 कोटवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ (2) अनमोल सोनकर पुत्र अज्ञात नि0 नरौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ (3) जिगेन्द्र पुत्र अज्ञात नि0 कोटवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ (4) राहुल पुत्र जितेन्द्र नि0 सिधारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ (5) प्रियाशु पुत्र कैलाश नि0 बसही देवेन्द्रपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ (6) बाबा पुत्र अज्ञात नि0 अज्ञात एव 10 से 15 व्यक्ति नाम पता अज्ञात तथा द्वितीय पक्ष के (1) साहब लाल यादव पुत्र विरेन्द्र यादव नि0 सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ (2) अमन यादव पुत्र अज्ञात नि0 अज्ञात (3) अमित यादव पुत्र अज्ञात नि0 अज्ञात (4) धर्मेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात नि0 अज्ञात (5) मो0सा0 UP50CN4287 का चालक नाम पता अज्ञात व 15 से 20 व्यक्ति नाम पता अज्ञात एक दूसरे के उपर पत्थर बाजी करते हुए व लाठी डण्डे का प्रयोग करते हुए अपने सामान उद्देश्य की पूर्ति हेतु गाली गलौज लड़ाई झगडा मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे तथा दोनो पक्षो की ओर से एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से अवैध असलहे से फायर कर रहे थे तथा पत्थर बाजी मारपीट व फायरिंग से मै भयभीत हो गया था, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 90/25 धारा 191(2)/ 191(3)/190/115(2)/352/ 351(2)/ 109 B.N.S पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. सूरज तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 31.03.2025 को उ0नि0 सूरज तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र जितेन्द्र नि0 सुन्दरनगर कालोनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व प्रियाशु पुत्र कैलाश नि0 बसही जरमजेपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को मझगावा हाईवे पेट्रोल पम्प के पास से समय करीब 13.15 बजे गिरफ्तार कर लिया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगणो को मा0 न्यायालय खाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-राहुल पुत्र जितेन्द्र नि0 सुन्दरनगर कालोनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

2-प्रियाशु पुत्र कैलाश नि0 बसही जरमजेपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष



02.थाना सरायमीर: अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/ -

दिनांक 09.11.2024 को वादिनी मुकदमा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक तहरीर दी कि वादिनी की सौतेली लड़की को सुबह जगाने गयी तो घर पर नहीं मिली। काफी खोजबीन व पता करने पर ज्ञात हुआ कि विपक्षी प्रदीप चौहान पुत्र कृपा चौहान द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में पूछने पर कृपा चौहान की माँ कुसुम व कुसुम की ननद मनीषा द्वारा गाली गलौज करने के सम्बन्ध में दिया गया। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 598/24 धारा 137(2)/87/352 बीएनएस बनाम 1. प्रदीप चौहान पुत्र कृपा चौहान, 2. कुसुम पत्नी स्व0 कृपा चौहान, 3. मनीषा पुत्री स्व0 लालता चौहान निवासीगण ग्राम सुरही बुजुर्ग थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है। दिनांक 30.03.2025 को पीड़िता की बरामदगी कर अभियुक्त प्रदीप चौहान पुत्र कृपा चौहान निवासी ग्राम सुरही बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 30/03/2025 को उ0नि0 हरिकेश शर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप चौहान उपरोक्त को हिरासत पुलिस में समय करीब 18.05 बजे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।



03. थाना मुबारकपुर: किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 27.02.2025 को वादिनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 21.02.2025 को रात्रि करीब 11.30 बजे वादिनी की नाबालिग पुत्री को विपक्षी काजू पुत्र सोबराती द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 90/2025 धारा 137(2),87 BNS बनाम काजू उपरोक्त के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 कमला सिंह यादव थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 31.03.2025 उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बादशाह उर्फ काजू पुत्र सोबराती निवासी देवली आयमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को शहीद नगर से अशरफिया की तरफ पोखरे के पास से समय करीब 14.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।



04.थाना- कोतवाली: हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास -

वादी अमन सिंह S/O अवनीश कुमार सिंह निवासी मोहल्ला आराजीबाग आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दि. 30.3.25 को शाम को मै चौक पर देवी जी के मंदीर दर्शन करने हेतु निकला थे। एक परिचित श्री ज्ञान प्रकाश श्रिवासतवा के दुकान पर बैठा था तभी मंजीत सिंह अपने नं0 86018xxxxxसे मेरे नं0 8299xxxxxxपर काल किया मैने उससे बताया की मै चौक पर श्री ज्ञान प्रकाश के दुकान पर बैठा हूँ। वहा आकर मंजीत सिंह और हर्षीत मेहलोत्रा आकर मुझे मां- बहन कि गाली देने लगे और भीड़ इकट्ठा कर लिया जान मारने कि नियत से मंजीत ने गला दबाकर जान से मारने कि नियत से मंजीत ने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया तथा मंजीत और हर्षीत ने जान से मारने कि धमकी भी दे रहे तथा यह लोग मारपीट के दौरान सोने का चेन और RS 12000 छिन लिया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 162/25 धारा (5)/109/115(2)/352/351(3)/309(4) बीएनएस दि. 30.3.25 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक- 31.03.2025 को उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. मंजीत सिंह पुत्र स्व. अमर सिंह निवासी मकान नम्बर 167 मुहल्ला कटरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष, 2. हर्षित मल्होत्रा पुत्र मनोज कुमार मल्होत्रा निवासी मकान नम्बर 37 मुहल्ला औरंगाबाद चौक थाना दक्षिण टोला जिला मऊ उम्र करीब 24 वर्ष हाल पता मंजीत सिंह का घर मकान नम्बर 167 मुहल्ला कटरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को समय 14.05 बजे कटरा तिराहे से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास -

1. मंजीत सिंह पुत्र स्व. अमर सिंह निवासी मकान नम्बर 167 मुहल्ला कटरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष,

- 1.मु0अ0सं0 228/23 धारा 323,34,506 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0 251/23 धारा 308,323,34,506 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
- 3.मु0अ0सं0 162/25 धारा 3(5)/109/115(2)/352/351(3)/309(4) बीएनएस

2. हर्षित मल्होत्रा पुत्र मनोज कुमार मल्होत्रा निवासी मकान नम्बर 37 मुहल्ला औरंगाबाद चौक थाना दक्षिण टोला जिला मऊ उम्र करीब 24 वर्ष हाल पता मंजीत सिंह का घर मकान नम्बर 167 मुहल्ला कटरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

- 1.मु0अ0सं0 228/23 धारा 323,34,506 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0 251/23 धारा 308,323,34,506 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
- 3.मु0अ0सं0 162/25 धारा 3(5)/109/115(2)/352/351(3)/309(4) बीएनएस



05.थाना- कोतवाली: दुष्कर्म के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

प्रार्थिनी थाना- महाराजगंज जनपद- आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी की शादी राजेश्वर निषाद पुत्र जगराम निषाद सा0 रामनाथपुर थाना- जयसिंहपुर जनपद-सुल्तानपुर के साथ दिनांक 29-01-2020 को हुयी थी तभी मेरे परिवार वालों ने दहेज के लिए घर जाकर मारपीटकर निकाल दिये जिसके सम्बन्ध में मैने दीवानी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। और तीन साल से लगातार मायके में रह रही है। डेढ वर्ष से प्रवीण कुमार पुत्र मोहन निषाद निवासी अमादपुर थाना- धानापुर जनपद चन्दौली में गलत नम्बर से फोन किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मैने कहा कि अभी तो मेरे पति से मुकदमा चल रहा है और अभी तलाक नहीं हो रहा है तो प्रवीण ने कहा जब तक मुकदमा चल रहा है मेरे साथ रहो जब तलाक हो जायेगी तो शादी कर लेना। मैने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। दिनांक 10-3-25 को मुझे अपने मो0नं0 से मेरे मो0नं0 पर फोन किया कि आओ आजमगढ़ तुमसे कुछ काम है। प्रार्थिनी ने विश्वास करके आजमगढ़ गयी तो प्रवीण ने मुझे लेकर लाज में ले जाकर मेरी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाया मैने कहा कि यह सब गलत कर रहे तो अभियुक्त ने बोला कि ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारी वीडियो बना लिये है, के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर दि. 23.3.25 को मु0अ0सं0 149/25 धारा-69/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 31.3.25 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रवीण कुमार निषाद पुत्र मोहन निषाद नि0 ग्राम अमादपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली उम्र करीब 25 वर्ष को समय 12.30 बजे रोडवेज तिराहा से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



07.थाना बिलरियागंज: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.03.25 को वादिनी मुकदमा थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दी कि दिनांक 27.3.25 दिन गुरुवार शाम करीब 6 बजे विपक्षी आकाश गुप्ता पुत्र सत्य नारायन गुप्ता निवासी खानपुर भगतपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुस गया और वादिनी की बेटी उम्र 17 वर्ष दुष्कर्म करने लगा, किशोरी के चिल्लाने पर घर वाले मौके पर पहुँचे व आकाश द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 94/25 धारा 64, 333,351(2),352 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 31.03.2025 को उ0नि0 अक्षयदीप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश गुप्ता पुत्र सत्यनारायन गुप्ता निवासी खानपुर भगतपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से समय करीब 14.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

